

Office of Commissioner of Police Faridabad

Sector-21-C, Faridabad

Email Id: cp.fbd@hry.nic.in,

Telephone No. 0129-2438000, 2438555

भर्ती सूचना

फरीदाबाद पुलिस में 150 (SPO) विशेष पुलिस अधिकारियों की भर्ती के लिए, 24 जनवरी 2025 तक आवेदन कर सकते हैं

सेना एवं अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त कर्मचारी, HISF बटालियन के हटाए गए कर्मचारी तथा 2004 में हरियाणा सशस्त्र बल के हटाए गए कर्मचारी को फरीदाबाद पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) के तौर पर भर्ती किया जाएगा। इच्छुक आवेदक पुलिस लाइन सेक्टर-30 फरीदाबाद में संबंधित आवश्यक दस्तावेजों सहित संपर्क करें।

चयनित उम्मीदवार को 20,000/- ₹0 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा।

चयनित उम्मीदवार के वेतन से छुट्टी के दौरान हरियाणा राज्य परिवहन में निःशुल्क यात्रा करने के संबंध में 120 रु प्रति माह काटा जाएगा।

एसपीओ (SPO) की भर्ती के लिए हरियाणा के किसी भी जिले का रिहायशी व पड़ोसी राज्यों के रिहाईशी भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदक 24 जनवरी तक व्यक्तिगत रूप से पुलिस लाइन सेक्टर-30 फरीदाबाद उपस्थित होकर संपर्क करें।

पुलिस कमीशनरेट फरीदाबाद में पुलिस बल की बढ़ती करने के लिये पुलिस उपायुक्त मुख्यालय, चेयरमैन भर्ती कमेटी की अध्यक्षता में Army and Paramilitary Forces से सेवानिवृत्त Ex-service men की भर्ती की जाएगी। भर्ती के इच्छुक आवेदक उपरोक्त शर्तों अनुसार 24 जनवरी 2025 तक पुलिस लाइन सेक्टर-30 फरीदाबाद में आवेदन कर सकते हैं।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि भर्ती के योग्य आवेदक अपने साथ पास-पोर्टसाइज के 4 फोटो, शिक्षा, सेवानिवृत्त से संबंधित सर्टिफिकेट, मूल रिहायशी प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्ति के समय प्रदान किया गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इत्यादि दस्तावेज के साथ व्यक्तिगत रूप से पुलिस लाइन सेक्टर-30 फरीदाबाद से संपर्क करें। योग्य उम्मीदवार अपने साथ उपरोक्त सभी दस्तावेजों की मूल प्रति भी साथ लेकर आएं।

चयन हेतु निम्नलिखित सेवा शर्तें लागू होंगी-

1. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए आवश्यक है उनकी आयु 25 से 50 साल तक होनी चाहिए और उन्हें अनुशासनहीनता या मैडिकल के आधार पर न हटाया गया हो। सेना में कम से कम 5 वर्ष तक सेवा की होनी चाहिए।
2. Ex-service men कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए 20,000/- रुपये के मासिक मानदेय पर रखे जाएंगे। इस राशि को विशेष पुलिस अधिकारी (SPO) को नकद न देकर उनके बैंक खाते में जमा किया जायेगा।
3. Ex-service men को उनके गृह पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जायेगा, यह ध्यान में रखा जायेगा कि उनकी तैनाती उनके निवास स्थान के नजदीकी पुलिस थानों में हो।
4. Ex-service men को भर्ती के समय दो जोड़ वर्दी, एक जोड़ जूते और अन्य आवश्यक वर्दी से संबंधित वस्तुओं के लिए 3000 रुपये केवल एक बार दिए जाएंगे।
5. सरकारी दौरे पर 150 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से T.A/D.A दिया जाएगा।
6. आकस्मिक अवकाश हरियाणा पुलिस के सिपाही के अनुसार प्रदान किया जाएगा। छुट्टी के दौरान मृत्यु होने पर 50 लाख रुपये अनुग्रह राशी के तौर पर दिए जाएंगे।
7. Ex-service men का भर्ती के समय कोई लिखित परीक्षा तथा शारीरिक मापतोल नहीं होगा।
8. राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।
9. इन विशेष अधिकारियों (SPO) को आपातकालीन स्थिति में थोड़े समय के लिए हरियाणा राज्य के किसी भी जिले में तैनात किया जा सकता है।
10. इन विशेष पुलिस अधिकारियों को 15 दिन का पुलिस छुट्टीओं के बारे में पुलिस लाइन फरीदाबाद में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि इनको कानून व्यवस्था, गार्ड ड्यूटी, पैट्रोलिंग, यातायात, और पुलिस से संबंधित अन्य छुट्टीओं पर तैनात किया जा सके।
11. चयन के लिए साक्षात्कार में आने के लिए उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता (T.A/D.A) नहीं दिया जाएगा।

सहायक पुलिस आयुक्त
मुख्यालय, फरीदाबाद